

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 285

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर के लिए

नेवा

285. श्री शंकर लालवानी:

श्री मुकेश राजपूतः

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन 2.0 का ब्यौरा क्या है और विधायी कार्य को कागज रहित बनाने तथा वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देने में इस पोर्टल ने कितनी सफलता प्राप्त की है; और
- (ख) सुशासन प्राप्त करने में डिजिटल प्रणालियों का क्या महत्व है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

- (क) नेवा 2.0, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उन्नत संस्करण, एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर एक कागज रहित विधायी वातावरण का निर्माण करना है। इसमें बहुभाषी सुविधा, सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएँ भेजने की कार्यक्षमता, सदस्यों की बायो-प्रोफाइल का स्वचालित निर्माण और

एक नए सदस्य डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जो भाषाई समावेशिता को बढ़ाती हैं तथा नेवा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन दोनों पर उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करती हैं।

नेवा 2.0 का राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड (एनजीसी) 2.0 में पारगमन बेहतर मापनीयता, विश्वसनीयता, बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा और अनुकूलित प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, जो विधायी सेवाओं के निर्बाध परिदान में सहायता करता है।

विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर, इसने सदस्यों को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विधायी कार्य तक पहुँच बनाने, प्रस्तुत करने और व्यवस्थित करने में सक्षम बनाया है, जिससे वास्तव में कागज रहित वातावरण का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसने विधायी डेटा की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करके, स्वचालन के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हितधारकों के बीच समय पर निर्णय लेने और निर्बाध सहयोग को सक्षम करके वास्तविक समय के शासन को बढ़ावा दिया है।

(ख) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) जैसी डिजिटल प्रणालियाँ विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाकर सुशासन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाकर और डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देकर सुशासन में योगदान देती है, जिससे अंततः अधिक समावेशी, पारदर्शी और कुशल शासन ढाँचा तैयार होता है।
